

कार्यालय ग्राम पंचायत रलावता पंचायत समिति खंडेला सीकर

क्रमांक :- 53/2026

दिनांक :- 13.05.2026

ई - निविदा सूचना संख्या -03 /2026-27

इस कार्यालय में नीचे लिखे कार्य को सम्पादित करने हेतु एक / दो वर्ष की डिफेक्टिव लाईबिलिटी के साथ उपर्युक्त श्रेणी के राजस्थान /केंद्र सरकार में पंजीकृत संवेदकों से ई टेंडर प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा एसपीपीपी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	धरोहर राशि
1	सिंगल फेस टयुववैल मय विधुत कनेक्शन मय पानी की टंकी निर्माण किशनपुरा रोड पर मूर्ती के पास ग्रा.प.रलावता	699993	14000
2.	ऑनलाइन फार्म डाउनलोड व जमा / अपलोड करने की दिनांक	दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक	
	धरोहर राशि निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस डीडी / बैंकर्स चैक एवं कार्यालय में जमा कराने की दिनांक एवं समय	दिनांक 20.05.2026 को प्रातः 11 बजे तक	
	ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 20.05.2026 को सायं 2 बजे पंचायत समिति खंडेला	

निविदा से सम्बंधित विस्तृत विवरण <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। उक्त कार्य के UBN NO- है।

प्रशासक प्रकाश  
ग्राम पंचायत रलावता

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत रलावता  
प.स.खंडेला, जिला-सीकर

क्रमांक :- 54-56

प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित -

दिनांक :- 13.05.2026

- संपादक .....
- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर।
- नोटिस बोर्ड सम्बंधित ग्राम पंचायत।

प्रशासक प्रकाश  
ग्राम पंचायत रलावता  
ग्राम पंचायत रलावता

ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत रलावता  
प.स.खंडेला, जिला-सीकर

# कार्यालय ग्राम पंचायत रलावता पंचायत समिति खंडेला सीकर

क्रमांक :- 53/2026

दिनांक :- 13/05/2026

## ई - निविदा सूचना संख्या - 03 /2026-27

इस कार्यालय को निचे लिखे स्वीकृत कार्य को सम्पादित करवाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / अन्य विभाग / राज्य सरकार / केंद्र सरकार के अधिकृत संगठन जो कि राजस्थान सरकार के एए.ए.वी.सी.एवं डी.श्रेणी के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई - टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाखों में	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	अवधि
1	सिंगल फेस टयुववैल मय विद्युत कनेक्शन मय पानी की टंकी निर्माण किशनपुरा रोड पर मूर्ती के पास ग्रा.प.रलावता	699999	500	14000	3 माह
	ऑनलाइन फार्म डाउनलोड व जमा / अपलोड करने की दिनांक	दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक			
	धरोहर राशि निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस डीडी / बैंकर्स चैक एवं कार्यालय में जमा कराने की दिनांक एवं समय	दिनांक 20.05.2026 को प्रातः 11 बजे तक			
	ऑनलाइन निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 20.05.2026 को सायं 2 बजे पंचायत समिति खंडेला			

निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदक निविदा का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर निर्धारित दिनांक एवं समय पर जमा करावे।

निविदा हेतु पात्र संवेदकों कि श्रेणी -

किसी भी सीमा तक - एए श्रेणी संवेदक

रुपये 50 लाख तक - सी श्रेणी संवेदक

रुपये 15 लाख तक - डी श्रेणी संवेदक

रुपये 300 लाख तक - ए श्रेणी संवेदक

रुपये 150 लाख तक - बी श्रेणी संवेदक


1. धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दर्शाई कुल अनुमानित लागत कि दो प्रतिशत होगी जो कि ग्राम पंचायत रलावता के नाम देय होगी।

2. निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन डाउनलोड करने कि अवधि दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक होगी।


अ निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक करवाए जा सकेंगे एवं प्राप्त निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर पंचायत समिति खंडेला में 20.05.2026 को खोली जावेगी। यदि किसी कारणवश उक्त दिवस में अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी स्थान एवं समय पर निविदाएं खोली जायेगी। व निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

संवेदक द्वारा दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक निविदा प्रपत्रों को देखा जा सकता है अथवा वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर भी देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदाकर्ता के लिए योग्यता सूचना, पात्रता, प्लान, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, कार्यो कि मात्रा एवं दरों का विवरण शर्तें इत्यादि वर्णित है।

- निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क का डीडी / बैंकर्स चैक एवं ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क का चालान निविदा

  
जयप्रकाश  
प्रशासक  
ग्राम पंचायत रलावता  
खंडेला, जिला-सीकर


2

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
प.स.खंडेला, जिला-सीकर


- तज्जदाका ररशतदार ( प्रथम रक्त संबधी व उसके पति/पत्नि ) कार्य से सम्बंधित कार्यालय से कर तक किसी भी पद पर पदस्थापित है तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा ।
- को भी निविदा को स्वीकार करने / बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी / उपापन कमेटी के अध्यक्ष के पास सुरक्षित है ।
- संबेदक द्वारा उक्त कार्य के लिए निर्धारित मशीनरी जो निविदा कि स्पेशल शर्त में वर्णित है को उसके पास होने अथवा किराये पर लेने का प्रमाण पत्र देना होगा ।
- वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ1 ( 1 ) एफडी / जीएफ एण्ड एआर / 2007 दिनांक 20.09.2011 परिपत्र संख्या 19/2011 के अनुसार 50.00 लाख रुपये के कार्यों के लिए 500.00 निविदा प्रोसेसिंग शुल्क अतिरिक्त देय होगा जो चालान के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर आरआईएसएल के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए ।
  - कार्य पूर्ण करने की अवधि में मानसून अवधि सम्मिलित है ।
  - कार्य का दोष निवारण एवं सुधार ( डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड ) का उत्तरदायित्व कार्य पूर्णता के पश्चात एक/दो वर्ष तक रहेगा ।

ई- टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु दिशा निर्देश :-

- इन निविदाओ में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों को इंटरनेट वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते है ।
- ब. निविदाओ में भाग लेने वाले निविदादाताओ को इंटरनेट वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा । ऑनलाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेकनोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन हेतु काम आयेगा । निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है । जिन निविदादाता के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है उन्हें नया लेने की आवश्यकता नहीं है ।
- स. निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे-कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार नहीं होगा ।
- द. ऑनलाइन निविदाएं निर्धारित दिनांक व समय पर खोली जावेगी ।
- य. इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्र से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजो कि स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई हो । ( यथा - वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वेट चुकता प्रमाण पत्र 31.03.2025 पैन कार्ड इत्यादि )
- र. कोई भी टेन्डर इलेक्ट्रोनिकली जमा करवाने में किसी कारण से लेट होता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा ।
- ल. टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करे ।
- व. जी शेडयूल से 15 प्रतिशत से अधिक कम दर प्राप्त होने पर जितनी कम दर प्राप्त होगी उतनी ही प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में अलग से जमा करवाना अनिवार्य होगा ।

  
जयप्रकाश

प्रशासक प्रशासक

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
खण्डेला, जिला सीकर  
दिनांक: 13.05/2026

ग्राम पंचायत खण्डेला, जिला सीकर

क्रमांक : खण्डेला जिला-सीकर 5456  
प्रतिलिपि सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित -

- संपादक .....
- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर ।
- नोटिस बोर्ड सम्बंधित ग्राम पंचायत ।

धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में दशाईं गई कुल अनुमानित लागत कि दो प्रतिशत होगी जो कि प्रशासक / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रलावता पंचायत समिति खण्डेला के नाम देय होगी। निविदा प्रपत्रों हेतु आवेदन / डाउनलोड करके भरने की अवधि दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक होगी।


- तकनीकी बिड लिफाफे में प्रतिभूति राशि हेतु 2 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट ग्राम पंचायत रलावता के नाम से देय तथा ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क का चालान 8658-00-102-(16)-(01)RISL (सिविल विभाग) एवं निविदा शुल्क का डीडी ग्राम पंचायत रलावता के पक्ष में देय तथा मांगे गए बांछित प्रमाण पत्र जो कि स्वयं द्वारा प्रमाणित हो तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करने है। एवं अन्य प्रपत्र ( मान्य कर चुकता प्रमाण पत्र वेट पंजीयन प्रमाण पत्र, राजकीय विभाग में सम्बंधित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक का पंजीयन प्रमाण पत्र पेन कार्ड कि प्रतिलिपि सम्बंधित ग्राम पंचायत रलावता में दिनांक 20.05.2026 को प्रातः 11 बजे तक जमा कराने होंगे।


अ. निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। एवं प्राप्त तकनीकी / वित्तीय निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति खंडेला में खोली जाएगी।

- निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- स. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सभी निविदाये नहीं खोली जा सकती है तो अगले कार्य दिवस में शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जाएगा।
- कार्य क्षेत्र संबंधित ग्राम पंचायत रलावता में होगा।

अधिकृत निविदा प्रपत्र का निरीक्षण इस कार्यालय में संवेदक द्वारा दिनांक 13.05.2026 सायं 2 बजे से 19.05.2026 सायं 6.00 बजे तक कार्य दिवसों में किया जा सकता है। निविदा प्रपत्रों में निविदा कर्ता के लिए योग्यता सूचना तथा निविदाकर्ता की पात्रता विभिन्न कार्यों की मात्रा एवं दरो का विवरण नियम शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित है।

- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित ग्राम पंचायत रलावता से लेकर विकास अधिकारी पं.स. खंडेला में पद स्थापित हो तो उसकी कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा।
- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां सेवाएं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है। तो अनुबंध रद्द किया जा सकेगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने की समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी एवं उपापन कमेटी के अध्यक्ष के पास सुरक्षित है।
- निविदा शुल्क 500 रुपये एवं धरोहर राशि हेतु 2 % राशि का डिमांड ड्राफ्ट प्रशासक / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रलावता के नाम से देय प्रशासक ग्राम पंचायत जैतूर में प्रस्तुत करना होगा।
- इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाताओं को प्रोसेसिंग फीस रु 500/- का चालान

  
जयप्रकाश  
प्रशासक  
ग्राम पंचायत रलावता  
प.स. खण्डेला जिला-सीकर

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत  
प.स. खण्डेला जिला-सीकर

स्टाम्प पत्र पर नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा जिसका व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

- फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी का को नहीं सौंपेगा या उप भाड़े ( सब लेट पर नहीं देगा)
- अमानता राशि / प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज दे नहीं होगा।

- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में सम्पन्न किया जाएगा।  
अ. जब निविदा / संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।  
ब. जब निविदादाता संपूर्ण कार्य संतोषजनक रूप से करने में असफल रहा हो।  
स. प्रतिभूति निक्षेप को सम्पन्न करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा

- निविदा सूचना में वर्णित मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- कार्यों की क्रियान्वयन हेतु ले आउट की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिए संवेदक को दक्ष अभियंता रखना होगा।
- कार्यों का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंडों के अनुसार किया जाएगा।
- सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य संपादन हेतु जारी किए गए कार्य आदेश में उल्लेखित कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि में कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा नहीं किया जाता है तो निम्नानुसार पेनल्टी देय होगी।

अ. विहित कार्य पूर्णता अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

ब. एक चौथाई अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5

प्रतिशत

स. आधी अवधि से अधिक किंतु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के विलंब के लिए

7.5 प्रतिशत

द. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए 10 प्रतिशत


य. प्रदाय में विलंब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा।


र. परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

ल. यदि प्रदाय कर्ता किन्हीं बढाओ के कारण संविदान्तर्गत कार्य का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किंतु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरंत उसी समय करेगा न की प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

व. यदि कार्य का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

- कराये गए सभी कार्यों के कार्य पूर्णता के पश्चात एक / दो वर्ष तक रख रखाव की जिम्मेदारी संवेदक की होगी जिसके लिए भुगतान राशि में से 10% धरोहर राशि काटी जावेगी / प्रास की जावेगी।
- कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन हेतु स्थानीय समुदाय से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी।
- संवेदक द्वारा बीएसआर दर / अनुमानित दर से 15% से भी कम दर प्रस्तुत की जाती है। तो उनमें सफल बोलीदाता से अंतर राशि की 15% कम दर से जितनी दर कम है अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति ली जाएगी। यह राशि अनुबंध संपादन के समय जमा करानी होगी व कार्य पूर्ण होने के


  
जयप्रकाश 5  
प्रशासक  
ग्राम पंचायत रत्नावता  
खण्डेला जिला-सीकर

  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत .....  
प.स.खण्डेला, जिला-सीकर

सवााधक लाभप्रद बाली लगाने वाले की कीमत का प्रति प्रस्ताव देते हुए माल या सेवाओं के तुरंत प्रदाय या संकर्मा के तुरंत निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए की जा सकेगी | यदि अपेक्षित उपापान की विषय वस्तु की मात्रा न्यूनतम बोली लगाने वाले की क्षमता से परे है या उपापान की विषय वस्तु संकटपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रकृति की है |


- उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापान में पारदर्शिता नियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगे |
- सशर्त निविदा / डाक/ फैक्स / अमानत राशि के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी |
- राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186 में गठित क्रय कमेटी के अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य निविदा प्रक्रिया में संवेदक के रूप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे |
- राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 ग्रामीण कार्य निर्देशिका एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश जो निविदा प्रकाशन के समय से प्रभावी हो की सभी शर्तें इस कार्य पर लागू होंगी |
- राजस्थान लोक उपापान में पारदर्शिता नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की शर्तें इस निविदा का भाग होंगी |
- जी शेड्यूल में दर शब्दों में एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगी | इसमें कोई त्रुटि या उपरी लेखन नहीं होना चाहिए | अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर निम्नतर दर मानी जाएगी |
- संपूर्ण कार्य सहायक अभियंता / कनिष्ठ तकनीकी सहायक पंचायत समिति खंडेला के निर्देशन में किया जाएगा |
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दर अनुसार जीएसटी / रॉयल्टी लेबर सेस, डीएमएफटी एवं अन्य करों की कटौती की जावेगी |
- यदि दर संविदा धारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को डर संविदा कीमत से कम कीमत कोट करता है तो उसे दर संविदा के अधीन उपापान की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोर्ट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी | यदि दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उसके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा |
- निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन करना एक प्रकार की अनहर्त होगी |
- संवेदक को फर्म का विवर्जित नहीं होने का शपथ पत्र ( 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर ) नवीनतम जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र सनदी लेखाकार से प्रमाणित एवं नवीनतम इनकम टैक्स रिटर्न अनिवार्य रूप से देना होगा अन्यथा निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा |

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तों को मान्य हेतु सहमत हूँ |

  
जयप्रकाश  
प्रशासक

ग्राम पंचायत रत्नावता  
प.स. खण्डेला जिला-सीकर

6

  
ग्राम पंचायत .....  
प.स.खण्डेला, जिला-सीकर

हस्ताक्षर संवेदक मय  
सील

## AFFIDAVIT

I/WE-----

Proprietor/Partner/

Authorize


of


Signatory

M/s.....under take the  
oath that the information furnished by me/ us in 1 to 5 of the  
assessment Bid for construction  
of .....

..... is correct to the best of my  
/ our knowledge. If any information is found to be incorrect gram  
panchayat jaitusar has right to right to reject the bid and to take action  
against me / us per rules.

Proprietor/Partner/ Authorize  
Signatory

  
जयप्रकाश  
प्रशासक  
ग्राम पंचायत रलावता  
प.स. खण्डेला जिला-सीकर


  
ग्राम विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत .....  
प.स.खण्डेला, जिला-सीकर



Name of work Construction-- सिंगल फेस टयुबवैल मय विधुत कनेक्शन मय पानी की टंकी निर्माण  
किशनपुरा रोड पर मूर्ती के पास ग्रा.प.रलावता


### CERTIFICATE FOR CORRSTNESS OF SCHEDULE—G

Certified that i/we have checked schedule G of above work as per based on BSR 2025-26 panchayti raj and GKN 2010 with all subsequent corrigendums and found to be correct.



प्रशासक काश

ग्राम पंचायत रलावता  
ग्राम पंचायत रलावता  
प.स. खण्डेला जिला-सीकर



ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत रलावता  
प.स. खण्डेला, जिला-सीकर